13-8-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत दौसा में बापी में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मूल वाद आदेशोपचार व त्रुटि निवेदन से सम्बन्धित होने के कारण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण का अपर्याप्त सीमा निर्धारित कर, अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि निर्धारित समय तक उपयोगित है। अतः प्रार्थीगण का अपर्याप्त अपूर्ण निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से अपूर्ण निवेदन से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम बापी तहसील दौसा स्थित खसरा नं. 318, 319, 320, 322, 323, 324, 343, 353, 354, 397/2181, 50/1, 541, 544, 545, 592, 597, 598, 599, 600, 601, 603, 605, 606, 607, 608, 612, 613, 614, 602, 611, 609, 610 कुल संख्या 32 कुल रकबा 7.54 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रद्दुल, बय, हस्तान्तरण नहीं करे। प्रकरण फैसल शुदा होने तक राजस्व लोक अदालत दौसा तथा बाद कामिल प्रविष्ठ होने पर मूल वाद के निर्णय पर राजस्व लोक अदालत दौसा बापी के समक्ष आम में निस्तारण कर सुनाया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
दौसा